

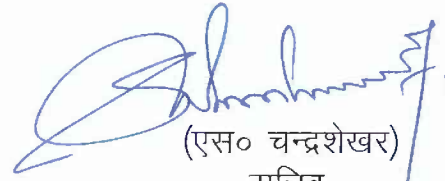
निविदा सूचना संख्या- 01 / 2025-26 / दिनांक 15/04/2025

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

चतुर्थ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर,
शास्त्री नगर, पटना-800023

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् कार्यालय के लिए भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पनिविदा सूचना

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना के उपयोगार्थ मासिक एवं दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु सक्षम निविदादाता से मुहरबंद लिफाफ में निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक एजेंसी/फर्म/सेवा प्रदाता <https://bsbb.bihar.gov.in/bsbb.bihar.gov.in/tender/> से निविदा पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्णरूप से भरा हुआ मुहरबंद निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक-14.05.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक कार्यालय- बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, चतुर्थ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० परिसर, शास्त्रीनगर, पटना- 800023 में जमा की जा सकती है। उसी दिन अपराह्न 3:30 बजे निविदा खोली जायगी।



(एस० चन्द्रशेखर)

सचिव,

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद

चतुर्थ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर,
शास्त्री नगर, पटना-800023

निविदा सं०- 01 दिनांक- 15/04/2025

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना कार्यालय के लिए मासिक/दैनिक भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा पत्र:-

1. बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना के कार्यालय उपयोगार्थ मासिक/दैनिक भाड़े पर वाहन (ईंधन एवं चालक के साथ) हेतु मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता द्वारा निम्न वाहनों का दर प्राक्कलित किया जाना अपेक्षित है:-

क्र०सं०	वाहन के प्रकार	वाहन की संख्या
1	Innova Crysta AC	आवश्यकतानुसार
2	Scorpio AC	आवश्यकतानुसार
3	Harrier AC	आवश्यकतानुसार
4	Sedan AC	आवश्यकतानुसार
5	Sumo AC & NON-AC अथवा समतुल्य	आवश्यकतानुसार
6	Bolero Comper Pickup अथवा समतुल्य (बिहार के विभिन्न स्थलों के लिए)	आवश्यकतानुसार

2. निविदादाता उपर्युक्त वर्णित वाहनों में से किसी एक/सभी के लिए निविदा दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें एनेक्सर-ए में दिए गए प्रपत्र में आवश्यक सूचना उपलब्ध करानी होगी। निविदादाता द्वारा अंकित किए गए मासिक दर को चयन का आधार बनाया जाएगा। यदि किसी निविदादाता द्वारा वाहन का मासिक दर अन्य निविदादाताओं के दर से कम होगा परन्तु उनके द्वारा दैनिक दर अन्य निविदादाताओं के दर से अधिक होगा तो उन्हें प्राथमिकता देते हुए दैनिक दर को पुर्ननिर्धारित करने के लिए इनसे बातचीत (Negotiation) की जायेगी, जिससे उनके दैनिक दर को निर्धारित किया जा सके। बात-चीत के क्रम में यदि उनके द्वारा पुनर्निर्धारित दैनिक दर अन्य दूसरे निविदादाता, जिनके द्वारा दैनिक भाड़ा में न्यूनतम दर (L1) अंकित किया गया है, के समान अथवा कम नहीं होता है तो उस स्थिति में दैनिक भाड़े हेतु उनका चयन नहीं किया जाएगा। इस स्थिति में मासिक भाड़ा एवं दैनिक भाड़ा हेतु अलग-अलग निविदादाता का चयन किया जाएगा।

3. शर्तें, बंधेज एवं दायित्व:-

A. वाहन आपूर्तिकर्ता के दायित्व :-

- i. संविदा के अनुरूप वाहन आपूर्तिकर्ता सुनिश्चित करेंगे की वाहन एवं चालक की सेवा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के पदाधिकारियों को प्रतिदिन अथवा आवश्यकता पड़ने पर निश्चित किये गये समय पर उपलब्ध करायेंगे। 15 मिनट से ज्यादा के विलंब होने पर विभाग को अधिकार होगा कि वो अन्य वाहन की सेवा ले लेंगे एवं अन्य वाहन को भुगतान किये गये राशि की वसूली वाहन आपूर्ति कर्ता से किया जायेगा।
- ii. वाहन आपूर्तिकर्ता संविदा में लिखित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करेंगे।
- iii. वाहन सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध कराना होगा।
- iv. वाहन आपूर्तिकर्ता, आपूर्ति किये गये वाहन को नियत स्थान एवं समय पर इंधन की टंकी फुल करके भेजेंगे।
- v. वाहन के किसी भी ब्रेक डाउन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण की स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने खर्च पर दूसरी व्यवस्था कर उसी मापदंड का वाहन विभाग को उपलब्ध करायेंगे। उक्त स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसा सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करने में जो खर्च करना पड़ेगा उसकी वसूली वाहन आपूर्तिकर्ता से की जायेगी।
- vi. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त किये गये संविदा अनुबंध को अंशतः या पूर्णतः किसी अन्य आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंधित करने की छूट नहीं होगी।
- vii. वाहन आपूर्तिकर्ता केवल Comprehensive Insurance वाले वाहन की ही सेवा प्रदान करेंगे।
- viii. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा आवंटित किये गये कर्मों का पुलिस Verification कराया जायेगा।
- ix. वाहन आपूर्तिकर्ता/चालक द्वारा लॉग बुक में प्रतिदिन आरंभिक कि०मी०, अंतिम कि०मी० परिचालित दूरी अंकित करके वाहन को उपयोग करने वाले पदाधिकारी/कर्मों से हस्ताक्षर तुरन्त प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं करने पर Penal Provision Impose किया जायेगा।
- x. वाहन आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता पूर्ण सेवा प्रदान करेंगे।
- xi. वाहन का निबंधन बिहार राज्य में व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए।
- xii. आपूर्ति किये गये वाहन, आदेश निर्गत की तिथि से एक साल से अधिक पुराना तथा 5000 Km से अधिक परिचालित नहीं होना चाहिए। वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किराये पर दिये जाने वाले वाहन के पास वैध निबंधन प्रमाणपत्र, Comprehensive Insurance Third Party and Occupants के साथ, PUC Permit एवं अन्य प्रासंगिक लाइसेन्स/Permit जो DTO एवं अन्य वैधानिक संस्था द्वारा व्यवसायिक परिचालन के लिये आवश्यक होना चाहिए तथा उसका नवीकरण अनबंध की समाप्ति की तिथि के पूर्व होनी चाहिए।
- xiii. किराये पर दिये जाने वाले वाहन पूर्ण रूप से अच्छी स्थिति में, भीतर तथा बाहर से साफ-सुथरा एवं हाईजेनिक स्थिति में होनी चाहिए।
- xiv. सभी वाहन आकस्मिक चिकित्सा किट एवं अग्निशमन उपकरण के साथ सुसज्जित होने चाहिए एवं सीट पर तौलिया लगा होना चाहिए।

- xv. यह सुनिश्चित हो कि वाहन के विद्युत कनेक्शन, लाईट, हॉर्न, मोड़ सूचक लाईट, एयर कंडीशनर एवं वाहन के अन्य उपकरणों का सिस्टम अच्छी स्थिति में हो तथा समय समय पर इसकी जाँच होनी चाहिए जिससे विभाग को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
- xvi. वाहन को विभाग/पदाधिकारी/कर्मियों द्वारा बताये गये नियत समय एवं स्थान पर खड़ा होना चाहिए। यदि वाहन को पेट्रॉल/डीजल भरवाने, रिपेयरिंग इत्यादि के लिए बाहर ले जाने की जरूरत हो तो सेवा प्राप्तकर्ता को जानकारी में देकर ही ले जाना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उस समय वाहन सेवा प्राप्तकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं इसके लिये वाहन आपूर्तिकर्ता पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।
- xvii. वाहन में टॉर्च, छाता, सेनेटाईजर, मोबाईल चार्जर, टिशु पेपर बॉक्स तथा स्वच्छ वायु द्वारा ताजगी महशूस होने वाला यंत्र लगा होना चाहिए।
- xviii. वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये वाहन का RC, Insurance, PUC, चालक के Driving Licence की छाया प्रति विभाग में जमा करना होगा।
- xix. लॉग बुक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में संधारित करना होगा।

B. प्रतिनियुक्त चालक/कर्मियों का दायित्व :- वाहन आपूर्तिकर्ता वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले चालक एवं कर्मियों द्वारा संपादित कार्यों के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे -

- i. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर एवं अन्य नशे में धुत होकर कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे।
- ii. चालक एवं कर्मियों अपना कार्य विनम्रतापूर्वक संपादित करेंगे एवं दूसरे कर्मियों से भी उनका व्यवहार विनम्रतापूर्वक होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्त चालक/कर्मियों पर संविदा की शर्तों के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। ऐसी गलती बार-बार दोहराने एवं निम्नांकित व्यवहार के कारण सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा।
- iii. कार्यावधि के दौरान चालक/कर्मियों का कर्तव्य से इंकार करना यदि, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी या विभाग द्वारा सूचित किया जाता हो।
- iv. असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना।
- v. चालक के पास एक मोबाईल, वैध नम्बर के साथ होना चाहिए जिससे विभाग/ पदाधिकारी कभी भी संपर्क कर सकें।
- vi. किसी भी कारणवश चालक का मोबाईल नंबर बदली होता है तो इसकी सूचना वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा विभाग को तुरन्त दी जानी होगी।
- vii. चालक अपनी कार्यावधि के दौरान हमेशा विभाग के संबंधित पदाधिकारी के संपर्क में बने रहेंगे।
- viii. प्रतिनियुक्त चालक के पास वाहन चालन का वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य है।
- ix. चालक साफ-सुथरी वर्दी पहनेंगे, यदि जन जैव विविधता पर्वद्वारा नियत रंग की वर्दी पहनने का आदेश दिया जाय तो उसका अनुपालन करेंगे।

- x. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर एवं अन्य नशे में धूत होकर कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे। यदि ऐसा होता है तो विभाग को पूर्ण अधिकार होगा कि वे तुरन्त संविदा को रद्द कर दे।
- xi. विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त चालक/कर्मियों के व्यवहार एवं उनकी वर्दी के संबंध में कोई आरोप सूचित किया जाता है तो वाहन आपूर्तिकर्ता इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे एवं इस पर समुचित कार्रवाई करेंगे।
- xii. अतिथियों के साथ अनावश्यक बात-चीत एवं कार्यचालन के समय मोबाईल का उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा। आकस्मिक स्थिति में चालक आदेश लेकर वाहन किनारे खड़ा कर मोबाईल का उपयोग कम-से-कम समय के लिये कर सकते हैं।
- xiii. विभाग द्वारा जैसे ही चालक को किसी अतिथि को अपने मोबाईल नम्बर एवं वाहन नम्बर की सूचना फोन कर या SMS कर तुरन्त देंगे। मोबाईल एवं SMS पर होने वाला खर्च वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
- xiv. चालक एवं वाहन को तुरन्त-तुरन्त बदली नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे किसी होनेवाले बदलाव की सूचना पूर्व में ही वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जानी चाहिए।

4. निविदादाता के लिए निर्देश एवं शर्तें—

A. निविदादाता की अर्हता एवं योग्यता—

- i. एजेंसी के निबंधन (Shops and Establishment Act के अधीन) का प्रमाण-पत्र।
- ii. जी०एस०टी निबंधन संख्या (निबंधन प्रमाण-पत्र छाया प्रति संलग्न करें)।
- iii. पैन कार्ड की छायाप्रति।
- iv. विगत तीन वर्षों का औसत व्यापार 25 लाख या इससे उपर होनी चाहिए।
- v. विगत तीन वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षण का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
- vi. विगत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर विवरणी की प्रति।
- vii. इस क्षेत्र में कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव अनिवार्य है।

B. अग्रधन (EMD)/ निविदा प्रतिभूति (Bid Security)-

अग्रधन के रूप में रु० 20,000 /—(बीस हजार रुपये) मात्र, जो डिमांड/बैंकर्स चेक के रूप में किसी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बिहार जैव विविधता पर्वद्, पटना (Bihar State Biodiversity Board, Patna) के नाम से जारी किया गया हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

C. निविदा की तैयारी—

- i. निविदा पूर्ण रूप से कम्प्यूटर टंकित किया गया हो तथा इसमें किसी प्रकार का Over Writing/Cutting/Correcting with fluid नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का फेर-बदल निविदादाता द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है अन्यथा निविदा अयोग्य हो जायेगा। दस्तावेज के सभी पृष्ठ को क्रमवार होना चाहिए तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता का हस्ताक्षर होना चाहिए।

- ii. निम्नलिखित मुहरबंद लिफाफे "A" तथा "B" को पुनः एक अन्य लिफाफा में डालकर एवं मुहरबंद कर सचिव, बिहार जैव विविधता पर्षद्, चतुर्थ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० कैम्पस, शास्त्रीनगर, पटना-800023 के पता पर जमा किया जाय। लिफाफे पर "बिहार जैव विविधता पर्षद्, पटना में मासिक/दैनिक भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा" एवं "दिनांक-14.05.2025 को अपराह्न 3:30 बजे पूर्व खोलना वर्जित है" अंकित रहना चाहिए।

लिफाफा "A"- तकनीकी निविदा से संबंधित वांछित दस्तावेज: (Annexure-B)

- कंडिका 4(B) में वर्णित अग्रधन,
- Shops and Stablishment Act के अधीन एजेंसी के निबंधन के प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति,
- जी०एस०टी निबंधन के प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति,
- पैन कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति,
- विगत तीन वर्षों में निविदादाता द्वारा एकरार किये गये संविदाओं की विस्तृत विवरणी, सभी दस्तावेजों के साथ,
- उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का निविदादाता के नाम से निबंधित होने अथवा उनके नियंत्रणाधीन होने संबंधी प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति,
- निविदादाता के द्वारा प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/नोटरी के समक्ष लिये गये इस आशय के शपथ-पत्र कि उनकी एजेंसी/कम्पनी केन्द्र सरकार/किसी राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संगठन द्वारा निषिद्ध/कालीसूची में नहीं डाली गयी है की प्रति,

लिफाफा "B"- वित्तीय निविदा: Annexure-A में दिए गए प्रपत्र में पूर्णतः भरकर मुहर के साथ हस्ताक्षरित करना अनिवार्य है।

- निविदा को जमा करना-** मुहरबंद लिफाफा दिनांक-14.05.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, चतुर्थ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० कैम्पस, शास्त्रीनगर, पटना-800023 के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय से विलम्ब से प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- निविदा खोलने की प्रक्रिया:**
 - सबसे पहले तकनीकी निविदा को दिनांक-14.05.2025 को अपराह्न 03:30 बजे सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा। इस प्रक्रिया में निविदादाता या उनके प्रतिनिधि पहचान पत्र एवं अधिकृत पत्र के साथ भाग ले सकते हैं।
 - वित्तीय निविदा वाले लिफाफा "B" पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा तथा अगली प्रक्रिया हेतु इसे मुहरबंद ही रखा जायेगा।

c) तकनीकी निविदा में सफल सभी निविदादाता को वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय की सूचना दी जायेगी। निविदादाता के प्रतिनिधि यदि चाहे तो उक्त तिथि को वित्तीय निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

v. एकरारनामा की अवधि: वित्तीय निविदा में सबसे निम्न दर अंकित करने वाले निविदादाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा। यह एकरारनामा हस्ताक्षर के दिन से अगले दो वर्षों के लिए प्रभावी होगा। सेवा संतोषपूर्ण न होने की स्थिति में सेवा दो वर्ष के पूर्व भी एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

vi. निष्पादन सुरक्षा (Performance Security):

- सेवा प्रदाता को 50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र का Performance Security बैंक गारंटी के रूप में जैव विविधता पर्षद, पटना में जमा करना होगा।
- उक्त बैंक गारंटी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना के पक्ष में जारी किया गया होना चाहिए। एकरारनामा का सफलतापूर्वक पालन करने के उपरान्त उक्त Performance Security को सेवा प्रदाता को वापस कर दिया जायेगा।
- सेवा प्रदाता द्वारा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना के साथ किये गये एकरारनामा का अनुपालन पूर्ण रूपेण नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त Performance Security को विभाग द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

vii. निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि वे निविदा जमा करने के पूर्व सभी वांछित कागजात को सावधानीपूर्वक पढ़ लिये हैं। यह माना जायेगा कि निविदादाता ने निविदा के सभी शर्तों को ठीक से समझते हुए इसे स्वीकार किया है। निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति के उपरान्त किसी भी प्रकार के मौखिक अथवा लिखित पूछताछ पर विचार नहीं किया जायेगा।

viii. सेवा प्रदाता द्वारा किसी अन्य उप संवेदक को वचनबद्ध नहीं करेंगे अथवा इस एकरारनामा को किसी अन्य को पूर्णतः/ आंशिक रूप में स्थानांतरित नहीं करेंगे।

ix. सेवा प्रदाता का चयन होने के उपरान्त यदि वे पर्षद के साथ एकरारनामा करने से इन्कार करते हैं तो उनका अग्रधन (EMD) जब्त कर लिया जायेगा।

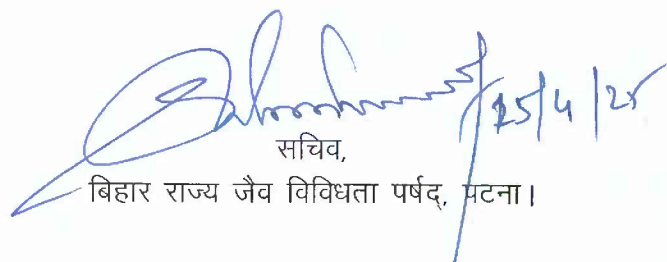
x. दंड का अधिरोपण:-

समय का अनुपालन नहीं करने, वाहन चालक द्वारा अशोभनीय व्यवहार, वाहन का अनुरक्षण ठीक से नहीं करने, वाहन की आपूर्ति ससमय नहीं करने की स्थिति में सेवा प्रदाता पर दंड आरोपित किया जायेगा। इस स्थिति में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना किसी अन्य सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्त कर सकता है तथा इस सेवा के शुल्क का भुगतान सेवा प्रदाता से राशि लेकर अन्य सेवा प्रदाता (जिनसे वाहन ली गयी होगी) को किया जायेगा।

यदि सेवा प्रदाता द्वारा एकरारनामा में वर्णित वाहनों के मॉडल से अन्यून वाहन उपलब्ध करायी जाती है अथवा उनके द्वारा असंतोषजनक सेवा प्रदान की जाती है, तो उनपर अधिकतम 10% तक का दंड अधिरोपित किया जायेगा। दंड की राशि का समायोजन उनके द्वारा प्रस्तुत विपत्र की राशि को कम कर की जायेगी।

xi. विपत्रों का भुगतान—

- a) सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत विपत्रों का भुगतान प्रत्येक माह के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का दंड अधिरोपित किया गया हो तो उसे घटाकर उक्त विपत्र को भुगतान किया जायेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत विपत्र पर आपूर्ति की गई वाहन का पंजीकरण संख्या, GST संख्या, बैंक खाता का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए तथा इसे ड्यूटी स्लीप के साथ विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।
- b) विपत्रों का भुगतान सेवा प्रदाता को उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।
- c) ड्यूटी स्लीप पर किसी प्रकार का ओवर राईटिंग नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का ओवर राईटिंग किया जाता है तो इसके सत्यापन स्वरूप सेवा प्रदाता का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।
- d) TDS/GST की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- e) सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के निविदा को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।


 सचिव,
 बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

Annexure-A**(Financial Bid)**

SN	Type of Vehicle	*Rate in Rupees(inclusive Cost of fuel and wages driver etc and Exclusive of all						
		Schedule I		Schedule II			Schedule III	
		Local Booking		Outstation Booking			Monthly Booking	
		Full Day-A(75 KM/ 12 Hr) (Basic rate)	Full Day-B(Extra Rate After 12 Hr)	Basic Rate(Rs./Km) (Basic rate)	Night Halt	Minimum chargable (KM/day)	Up to 1500 km (Basic rate)	Extra Rate (Per KM)
1	Innova Crysta AC							
2	Scorpio AC							
3	Harrier AC							
4	Sedan AC							
5	Sumo AC or equivalent							
6	Sumo Non-AC or equivalent							
7	Bolero Camper Pickup or equivalent (for different location in Bihar)							

Note: Negotiation may be made with bidder who has quoted lowest rate in Schedule III for Schedule I & II, if the rate quoted by him in Schedule I & II is higher than other bidders.

Signature and seal of Bidder
Name and designation of authorized signatory of Bidder

Annexure-B

(तकनीकी निविदा)

(1)	एजेंसी का नाम एवं पता—	
(2)	कंडिका (4) में वर्णित अग्रधन की राशि	
(3)	Shop And Establishment Act के तहत निबंधन संख्या (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
(4)	जी.एस.टी. निबंधन संख्या (निबंधन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)	
(5)	PAN संख्या (छाया प्रति संलग्न करें)	
(6)	विगत तीन वर्षों का औसत व्यापार (25 लाख से उपर) की राशि वर्ष 2022-23 वर्ष 2023-24 वर्ष 2024-25	राशि
(7)	विगत तीन वर्षों का लेखा परीक्षण (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) वर्ष 2022-23 वर्ष 2023-24 वर्ष 2024-25	
(8)	विगत तीन वर्षों की आयकर विवरणी वर्ष 2022-23 वर्ष 2023-24 वर्ष 2024-25	
(9)	इस क्षेत्र में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण-पत्र विगत तीन वर्षों में निविदादाता द्वारा एंकरार किये गये संविदाओं की विस्तृत विवरणी, सभी दस्तावेजों के साथ	
(10)	उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का निविदादाता के नाम से निबंधित होने अथवा उनके नियंत्रणाधीन होने संबंधी प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति,	
(11)	निविदादाता के द्वारा प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/ नोटरी के समक्ष लिये गये इस आशय के शपथ-पत्र कि उनकी एजेंसी/कम्पनी केन्द्र सरकार/किसी राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संगठन द्वारा निषिद्ध/कालीसूची में नहीं डाली गयी है की प्रति	

निविदादाता का हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पता